...यालय उपखण्ड अधिकारी, देवली (टोंक)

...ल संख्या – 99/2022 निर्णय दिनांक :–26.05.2022

...नवानी प्रार्थना पत्र –

1. कुलदीप सिंह पुत्र शिवराज सिंह जाति राजपूत निवासी दूनी तहसील दूनी जिला टोंक राज0
2. गजराज कंवर पत्नी शिवराज सिंह जाति राजपूत निवासी दूनी तहसील दूनी जिला टोंक राज0
3. पृथ्वीराज सिंह पुत्र नारायण सिंह जाति राजपूत निवासी दूनी तहसील दूनी जिला टोंक राज0
4. भवानी सिंह पुत्र नारायण सिंह जाति राजपूत निवासी दूनी तहसील दूनी जिला टोंक राज0

–प्रार्थी पक्ष–

बनाम

तहसीलदार दूनी जिला टोंक राज0

–अप्रार्थी पक्ष–

प्रार्थना पत्र पत्थरगढी बाबत् अन्तर्गत धारा 128 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट

आदेश

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया, प्रार्थी को सुना गया। तहसीलदार दूनी की रिपोर्ट अनुसार **आराजी खाता संख्या 932 खसरा नम्बर 2839 रकबा 0.35 है0, खसरा नम्बर 2840 रकबा 0.01 है0, खसरा नम्बर 2841 रकबा 0.22 है0, खसरा नम्बर 2842 रकबा 0.02 है0** वाके ग्राम दूनी तहसील दूनी जिला, प्रार्थी पक्ष की खातेदारी व कब्जेकाश्त की आराजी भूमि है। उक्त भूमि पर किसी न्यायालय का स्थगन आदेश नही है। पडोसी खातेदारों से सीमा विवाद है, परन्तु अधिवक्ता कथनानुसार पडोसी खातेदार से सीमा विवाद नही है।

अतः जमाबंदी संवत् 2074–77 में अंकित **आराजी खाता संख्या 932 खसरा नम्बर 2839 रकबा 0.35 है0, खसरा नम्बर 2840 रकबा 0.01 है0, खसरा नम्बर 2841 रकबा 0.22 है0, खसरा नम्बर 2842 रकबा 0.02 है0** वाके ग्राम दूनी तहसील दूनी जिला टोंक, की विधिवत् पत्थरगढी की जाने हेतु तहसीलदार दूनी को मौका कमीश्नर बनाया जाता है और मौका कमीश्नर फीस 1000/– रू0 निर्धारित की जाकर एतदद्वारा आदेशित किया जाता है कि प्रार्थी से पत्थरगढी कॉस्ट राशि नियमानुसार सीमाज्ञान शुल्क जमाकर उक्तानुसार पालना की जावे।

निर्णय खुल न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
देवली